निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 63/2021
दायरा दिनांक:–21.09.2021
निर्णय दिनांक:– 23.12.25

उनवान

1. सुशीला आयु 55 वर्ष बेवा नंदकिशोंर
2. ममता आयु 32 वर्ष पुत्री नंदकिशोर
3. प्रियंका आयु 26 वर्ष पुत्री नंदकिशोर जातियान गुसाई निवासीगण ग्राम रींझा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. गिरजा शंकर पुत्र कन्हैयालाल – मृतक

1/1 लोकेश आयु 29 वर्ष पुत्र गिरजाशंकर निवासी ग्राम रींझा
1/2 बंटी आयु 33 वर्ष पुत्र गिरजाशंकर निवासी ग्राम रींझा
1/3 रोहित आयु 22 वर्ष पुत्र गिरजाशंकर निवासी ग्राम रींझा तहसील छबडा
1/4 रंजना आयु 36 वर्ष पुत्री गिरजाशंकर पत्नि देवेन्द्र निवासी ग्राम रींझा तहसील छबडा हाल मुकाम अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

2. सत्यनारायण आयु 52 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल
3. ओम प्रकाश आयु 49 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जातियान गुसाई निवासीगण रींझा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. सुशीला बाई आयु 60 वर्ष पुत्री कन्हैयालाल निवासी ग्राम रींझा हाल मुकाम जाखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
5. रामदुलारी आयु 40 वर्ष पुत्री कन्हैयालाल जाति गुसाई ग्राम रींझा हाल मुकाम पीलिया तहसील बारां जिला बारां (राज0)
6. चमेली बाई आयु 48 वर्ष पत्नि गिरजा शंकर
7. गुडडी बाई आयु 45 वर्ष पत्नि सत्यनारायण
8. सुनीता आयु 35 वर्ष पत्नि ओमप्रकाश
9. रामप्रसाद पुत्र देवलाल जातियान गुसाई निवासीगण ग्राम रींझा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
11. सब रजिस्ट्रार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

6. चमेलीबाई आयु 48 वर्ष पत्नी गिरजाशंकर

7. गुड्डीबाई आयु 45 वर्ष पत्नी सत्यनारायण

.....2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 23/12/25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश भार्गव – प्रार्थी
2. श्री उमाशंकर गोस्वामी – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया कम ससुर एवं प्रार्थी कम 2 व 3 के दादा कन्हैयालाल पुत्र देवलाल जाति गुसाई निवासी रांझा के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैत्रिक आराजी खाता संख्या 11 में खसरा नंबर 11/1 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 19/1 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 24/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 136/1 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 161/1 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 179/1 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 186/1 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा कुल किता सात कुल रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा एवं इसी तरह वाके माल राँझा की खाता संख्या 81/78 में शामलाती खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 13/1 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 14/1 रकबा 07 बीघा 09 विस्वा, खसरा नंबर 15/1 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, ख़सरा नंबर 16/1 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 17/1 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 85/1 रकबा 03 बिस्वा कुल छह किता कुल रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा, जिसमें प्रार्थीगण के दादा का हिस्सा निहित है। उक्त आराजी पैत्रिक होने से जर्ये डिकी न्यायालय एस०डी०ओ० छबड़ा के आदेश से विभाजित होकर नामान्तरण नंबर 339 दिनांक 01.04.2016 से प्रार्थीगण के दादा कन्हैयालाल के तनहा खातेदारी में दर्ज हुई। जो वर्तमान खसरा नंबर 13 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 14 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 15 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 16 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 17 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 85 रकबा 03 बिस्वा कुल किता छह रकबा कुल रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा दर्ज जमाबंदी है, जो संलग्न वाद/प्रार्थना पत्र है। उक्त आराजी माल रींझा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है। नकल जमाबंदी वाद/प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो वाद/प्रार्थना पत्र का अहम भाग है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी है, जो स्व० कन्हैयालाल जी को प्रार्थीगण के परदादा देवलाल से वंशानुगत प्राप्त हुई थी। नकल जमाबंदी संवत् 2068–2070, 2071–2074 संलग्न वाद है। उक्त वाद/प्रार्थना पत्र में उपरोक्त आराजियात को विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उपरोक्त वंशावली के अनुसार प्रार्थीगण मृतक कन्हैयालाल को प्राप्त पैत्रिक आराजी में संयुक्त रूप से 1/6 एवं अप्रार्थी कम 1 ता 5 का 1/6 हिस्सा निहित है। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी कम 1 के पति व प्रार्थी कम 2. व 3 के पिता नंदकिशोर जो मृतक कन्हैयालाल के ज्येष्ठ पुत्र थे एवं अप्रार्थी कम 1 ता 5 आपस में सगे भाई है, जो जीवन पर्यन्त संयुक्त परिवार में रहकर विवादग्रस्त आराजी को संयुक्त काश्त कर अपने परिवार का भरण–पोषण करते रहे हैं। प्रार्थीगण अपने पति व पिता स्व० नंदकिशोर व दादा कन्हैयालाल, परदादा देवलाल के जीवनकाल से ही करीब 80 वर्षों से अपने हिस्से पर काबिज है एवं निर्वाध रूप से निरंतर अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी के खसरा नंबर 156/1 रकबा 02 बीघा 08 विस्या, खाता संख्या 81 की खसरा नंबर 13 रकबा 01 बीघा कुल 03 बीघा 08 बिश्वा भूमि पैत्रिक आराजी होने के कारण प्रार्थीगण आज भी बहैसियत खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

6. चमेलीबाई आयु 48 वर्ष पत्नी गिरजाशंकर

7. गुड्डीबाई आयु 45 वर्ष पत्नी सत्यनारायण

.....2

काबिज है और काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 5 के मध्य आपसी सहमति से उक्त आराजी के संबंध में मौखिक रूप से पारिवारिक बंटवारा स्व० कन्हैयालाल द्वारा अपने जीवनकाल में प्रार्थीगण के हिस्से 1/6 की आराजी खसरा नंबर 136/1 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खाता संख्या 81 के खसरा नंबर 13 रकबा 01 बीघा कुल 03 बीघा 08 बिस्वा आराजी प्रार्थीगण के कब्जे, स्वामित्व में होना स्वीकार कर प्रार्थीगण के दादा एवं अप्रार्थीगण के पिता स्व० कन्हैयालाल द्वारा एक समझौता पत्र दिनांक 28.01.2003 को निष्पादित किया था। प्रार्थीया कम 1 अपने पति व प्रार्थी कम 2 व 3 के पिता नंदकिशोर को उक्त पैत्रिक आराजी में प्राप्त अपने हिस्से 1/6 पर निरंतर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी कम 1 के ससुर व प्रार्थी कम 2 व 3 के दादा स्व० कन्हैयालाल द्वारा अपने जीवनकाल में अपने चारों पुत्रों सहित अपने दोनों पुत्रियों अप्रार्थीया कम 4 व 5 को अपने–अपने पैत्रिक आराजी में निहित हिस्से अनुसार अपने हिस्से की पैत्रिक आराजी में से प्रार्थीयागण के पति/पिता नंदकिशोर व अप्रार्थी कम 1 ता 5 को अपने–अपने हिस्से अनुसार आराजियात का मौखिक पारिवारिक बंटवारा कर संभला दिया था। प्रार्थीया के ससुर व अप्रार्थी कम 1 ता 5 के पिता गत पांच–छह वर्षों से अत्यधिक बीमार होने तथा चलने, फिरने, बोलने में असमर्थ होने के कारण भी प्रार्थीया कम 1 के ससुर व प्रार्थी कम 2 व 3 के दादा का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नाम होने से खातेदारी अधिकारों का नाजायज फायदा उठाते हुए पारिवारिक बंटवारे में प्रार्थीगण को प्राप्त कृषि आराजियात के हिस्से सहित संपूर्ण पैत्रिक आराजी की जर्ये वसीयत हस्तांतरण अप्रार्थी कम 1 ता 3 द्वारा राजस्व अधिकारियों से सांठ–गांठ कर षडयंत्रपूर्वक अपनी पत्नी अप्रार्थीया कम ता के नाम करा ली, जो अवैध है एवं प्रार्थीगण के हिस्से तक शून्य है। अप्रार्थी कम 1 ता 5 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा अपने पारिवारिक बंटवारे में दी हुई भूमि हिस्सा 1/6 प्रार्थी कम 1 के पति व प्रार्थी कम 2 व 3 के पिता को सुपुर्द की थी। उक्त आराजी पर प्रार्थी कम 1 के पति व प्रार्थी कम 2 व 3 के पिता से प्राप्त हिस्से पर निरंतर काविज है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के दादा कन्हैयालाल का नाम दर्ज होने के कारण बिना वैध अधिकार के बिना प्रार्थीगण की जानकारी के व बिना कब्जा सुपुर्द किए हस्तांतरण कर दिया। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी होने के कारण एवं प्रार्थीया कम 2 व 3 पोत्रियों का समान हक निहित होने से प्रार्थीगण के हिस्से तक अप्रार्थीगण 6 ता के पक्ष में की गई वसीयत शून्य है। जिसके आधार पर अप्रार्थी कम 6 ता है किसी भी तरह उक्त आराजी को जर्ये नामान्तकरण अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी नहीं है। विवादग्रस्त आराजी पैत्रिक आराजी होने के कारण प्रार्थीगण अपने हिस्से पर पारिवारिक बंटवारे में सुपुर्द किए जाने के कारण उक्त आराजी में अपने हिस्से तक खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के वैध अधिकारी है एवं अपने हिस्से को पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के वैधानिक अधिकारी है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से पिछले 80 वर्षों से निरंतर काविज है एवं काश्त करतें चले आ रहे हैं तथा कृषि से प्राप्त आय से अपने परिवार का भरण–पोषण करते चले आ रहे हैं। इस कारण बाई आपरेशन आफ लॉ कब्जा मुखालफाना हो चुका है और प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। विवादग्रस्त आराजी के हिस्से 1/6 पर कभी भी कास्त नहीं होने के कारण अप्रार्थी कम 1 ता 6 के खातेदारी अधिकार त्वतः ही समाप्त हो चुके हैं और विवादित आराजी से आउस्टर हो चुके हैं। इस कारण इनके द्वारा दिनांक 08.05.2018 को अप्रार्थी कम ताह के पक्ष में किया गया वसीयतनामा शून्य है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.01.2003 को विवादित आराजी में प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा मानते हुए तथा उत्त पर प्रारंभ से ही प्रार्थीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

6. चमेलीबाई आयु 48 वर्ष पत्नी गिरजाशंकर

7. गुड्डीबाई आयु 45 वर्ष पत्नी सत्यनारायण

.....2

प्रार्थीया कन 1 के पति व प्रार्थी कम 2 व 3 के पिता का कब्जा काश्त होने के कारण समझौता तहरीर प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में स्व० कन्हैयालाल द्वारा निष्पादित की है तथा अप्रार्थी कम 1 ता 8 की जानकारी में होते हुए भी उक्त प्रार्थीगण के कब्जे की आराजी के संबंध में समझौता पत्र निष्पादित किया जा चुका है तथा विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का स्वामित्व एवं आधिपत्य है, के बाद भी जानबूझकर बेईमानीपूर्वक धोखे से प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि सहित चूकते हिस्से की अप्रार्थी कम 6 ता को दिनांक 08.05.2018 को जर्ये वत्सीयत हस्तांतरित करा लिया है, जो प्रारंभ से ही शून्य है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि के बंटवारा एवं वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कराने के वैध अधिकारी है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्य सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमावन्दी ग्राम रींझा सम्वत 2075–78 खाता संख्या 10 नकल जमावन्दी ग्राम रींझा सम्वत 2075–78 खाता संख्या 81 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2012–13 नकल खसरा गिरदावरी नकल जमावन्दी ग्राम रींझा सम्वत 2071–74 खाता संख्या 78 नकल वसीयतनामा दिनांक 08.05.2018 पेश हुआ।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब में बताया कि आराजी खाता संख्या 11 के खसरा नम्बर 11/1 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 19/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 24/1 की रकबा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 136/1 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 161/1 की रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा नम्बर 179/1 की रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 186/1 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा एव खाता संख्या 81/78 की खसरा नम्बर 13/1 की रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 14/1 की रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 15/1 की रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 16/1 की रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 17/1 की रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 85/1 की रकबा 3 बिस्वा कुल 6 किता की 18 बीघा 6 बिस्वा आराजी वाके माल रिझा मे स्थित है जो कन्हैयालाल जी स्वअर्जित सम्पत्ति है जो कन्हैयालाल जी के खातेदारी की है जिसका कन्हैयालाल जी को रहन, बैय, हस्तान्तरण करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। प्रार्थनी कम 1 ने कभी भी ग्राम रिझा में निवास नही किया क्योकि उसका पति ट्रक ड्राइवर था इसलिए वह हमेशा वारां मे निवास करती रही एंव पति की मृत्यु के बाद प्रार्थनी कम 2 व 3 को लेकर अन्यंत्र गांव चली गई। इस तरह कभी भी प्रार्थनीगण ने ग्राम रिंझा मे निवास नही किया न ही वर्तमान में निवास कर रही है। इसीलिए प्रार्थनीगण ने अपने ससुर कन्हैयालाल के विरूद्ध भरण पोषण हेतु एक प्रार्थना पत्र न्यायालय वारा मे प्रस्तुत किया था जो भी न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रार्थनीगण विना किसी खातेदारी अधिकार एव कब्जे काश्त के अनावश्यक रूप से परेशान कर अप्रार्थीगण के पिता कन्हैयालाल जी की खातेदारी एव कब्जे काश्त की आराजी ने व्यवधान उत्पन्न करना चाहती है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनीगण को ताफैसलावाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही विवादित आराजी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

6. चमेलीबाई आयु 48 वर्ष पत्नी गिरजाशंकर

7. गुड्डीबाई आयु 45 वर्ष पत्नी सत्यनारायण

.....2

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आरजी ग्राम रींझा तहसील छबड़ा में स्थित है। जो प्रार्थी क्रम 1 के ससुर एवं प्रार्थी क्रम 2,3 के दादा कन्हैयालाल पुत्र देवलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैत्रक आराजी थी जिसमें प्रार्थीगण के दादा का हिस्सा निहित है। उक्त आरजी पैत्रक होने से जर्ये डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा से विभाजित होकर नामान्तरण संख्या 339 दिनांक 01.04.2016 से प्रार्थीगण के दादा कन्हैयालाल के खातेदारी में दर्ज हुई। जो वर्तमान में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। विवादित आराजी पैत्रक होने के कारण प्रार्थीगण का 1/6 एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 का हिस्सा 1/6 निहित है। प्रार्थीगण के पति व पिता स्व0 नंदकिशोर व दादा कन्हैयालाल के जीवनकाल से अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। तथा काश्त करतें चले आ रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के मध्य आपसी सहमति से मौखिक रूप से बटवारा स्व0 कन्हैयालाल द्वारा अपने जीवनकाल में कर दिया था। जो खसरा नम्बर 136/1 एवं खसरा नम्बर 13 की भूमि प्रार्थीगण के हिस्से में आई थी। प्रार्थीगण के दादा स्वं0 कन्हैयालाल अत्यधिक बीमार होने तथा चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण विवादित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी होने का फायदा उठा कर अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा जर्ये वसीयत अपनी पत्नि 6 ता 8 के नाम करा ली जो अवैध में प्रभाव शून्य है। विवादित आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन बेचान करने पर आमादा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी कन्हैयालाल की स्वअर्जित सम्पत्ति है। जो कन्हैयालाल के खातेदारी की है। जिसमें कन्हैयालाल को रहन बैय एवं हस्तान्तरण करने का पुरा अधिकार है। प्रार्थी क्रम 1 ने रीझा में कभी निवास नही किया वह बारां निवास करती थी। क्योकि उसका पति ट्रक ड्राईवर था। पति की मृत्यु होने के बाद प्रार्थी क्रम 2 व 3 को लेकर अन्यत्र चली गई। प्रार्थी ने कभी गावं रीझा में निवास नही किया और ना ही वर्तमान में कर रही है। प्रार्थीया द्वारा अपने ससुर कन्हैयालाल के विरूद्ध भरण पोषण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वह खारिज हो गया। प्रार्थीया बिना खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के अनावश्यक परेशान कर कन्हैयालाल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में व्यवधान करना चाहती है। जिसका प्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रीझा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 10 में कान्हा पुत्र देवलाल का नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी गाम रींझा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 81 में रिज्यूम रामप्रसाद कन्हैयालाल पुत्र देवलाल जाति गुसाई दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम रीझा सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 78 में कान्हा पुत्र देवलाल का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। पत्रावली में संलग्न खसरा मिलान क्षेत्रफल 2012–31 एवं जमाबंदी 2042–45 मौजा रींझा के अनुसार विवादित आराजी पैतृक है। नकल वसीयतनामा दिनांक 08.05.2018 के अनुसार कन्हैयालाल पुत्र देवलाल जाति

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

6. चमेलीबाई आयु 48 वर्ष पत्नी गिरजाशंकर

7. गुड्डीबाई आयु 45 वर्ष पत्नी सत्यनारायण

.....2

बुसाई द्वारा पुत्र बधुएं चमेली बाई, सुनीता, गुडडी बाई, के पक्ष में वसीयत की गई। अप्रार्थीगण द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति होने का ऐसा कोई रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे विवादित आराजी स्वअर्जित सम्पत्ति साबित हो सके। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण मूल वादमें प्रस्तुत साक्ष्य व सबूतों के आधार पर किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीझा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 11/1 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 19/1 रकबा 1.12 बीघा खसरा नम्बर 24 रकबा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 136/1 रकबा 2.08 बीघा खसरा नम्बर 161/1 रकबा 3.07 बीघा खसरा नम्बर 179/1 रकबा 3.01 बीघा खसरा नम्बर 186/1 रकबा 3.19 बीघा खसरा नम्बर 13/1 रकबा 2.02 बीघा खसरा नम्बर 14/1 रकबा 7.09 बीघा खसरा नम्बर 15/1 रकबा 4.14 बीघा खसरा नम्बर 16/1 रकबा 3.19 बीघा खसरा नम्बर 17/1 रकबा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 85/1 रकबा 3 बिस्वा में उभयपक्ष मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

6. चमेलीबाई आयु 48 वर्ष पत्नी गिरजाशंकर